न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार योगी (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 126/2013

उनवान

प्रेरणा देवी पुत्री श्री दिनेश चन्द्र माथुर, पत्नि श्री संदीप माथुर, जाति कायस्थ, उम्र 30 वर्ष करीब, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। हाल निवासी पाला बास रोड़, प्रिन्स स्कूल के पास, जिला सीकर।

—प्रार्थी/वादीया —

बनाम

1. दिनेश चन्द्र माथुर पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण माथुर।
2. शैलेश कुमार माथुर पुत्र दिनेश चन्द्र माथुर।
3. प्रमोद कुमार माथुर पुत्र दिनेश चन्द्र माथुर।
   समस्त जाति कायस्थ, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ जिला जयपुर।
5. उप पंजियक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण —

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :01/05/2017

प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयपुर में आराजी ख0नं0 362/1874, 362/1875, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 462, 527/1804, 531, 532, 533 कुल किता 14 का कुल रकबा 6.95 है0 तथा आराजी ख0 नम्बरान 390 ता 393 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.60 है0 तथा आराजी ख0नं0 221 ता 224 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.01 है0 तथा आराजी ख0नं0 207, 208, 228, 229, 230 कुल किता 5 का कुल रकबा 3.31 है0 भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 का 1/12 हिस्सा निहित है। जो कि प्रार्थना पत्र हाजा में विवादित भूमि है, शेष भूमि अन्य खातेदारान की है। उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की पुश्तैनी कब्जेशुदा एवं खातेदारी की भूमि है। उक्त विवादित आराजीयात पूर्व में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के पितामह एवं अप्रार्थी सं0 1 के पिताजी स्व0 श्री हरिनारायण माथुर की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि थी। श्री हरिनारायण माथुर के स्वर्गवास के पश्चात उनके 1/6 हिस्से की उक्त आराजीयात अप्रार्थी सं0 1 पुत्र एवं मालती देवी पुत्री के नाम 1/6 भूमि जरिये विरासत नाम हो गई थी। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में से 1/12 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 1 दिनेश चन्द्र के नाम जरिये विरासत हो गई थी, जो कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 का बराबर—बराबर 1/48—1/48 हिस्सा है, क्योंकि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 का उक्त विवादित भूमि में जन्म जात ही वैधानिक रुप से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं0 1 की पत्नि एवं प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 की माताजी श्रीमती सुमन देवी माथुर का स्वर्गवास सन् 1987 में हो गया था। अप्रार्थी सं0 1 के प्रार्थीनी पुत्री, अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 ही एकमात्र विधिक वारिसान हैं तथा स्व0 श्री हरिनारायण माथुर के प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ही विधिक वारिसान हैं। अतः प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 का विवादित भूमि का जन्मजात ही बराबर बराबर का हक व हिस्सा है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 की माताजी श्रीमती सुमन देवी माथुर का स्वर्गवास सन्

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

1987 में हो जाने के पश्चात अप्रार्थी सं0 1 दिनेश चन्द्र माथुर ने एक अन्य औरत मंजू देवी को सन् 1993 में रख लिया था तथा मंजू देवी के साथ उसकी पुत्री नीतिका उम्र करीब 8 साल भी साथ में आयी थी। उसके पश्चात से ही अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थीनी के प्रति पिता के दायित्वों का निर्वाह नही किया। जिस कारण प्रार्थीनी के मामाजी द्वारा पालन पोषण किया था तथा प्रार्थीनी की शादी भी मामाजी द्वारा ही की गई थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त मंजू देवी तथा उक्त नीतिका पर ही आर्थिक ध्यान दिया गया हैं तथा उन्हीं के प्रभाव में रहकर खर्चा किया जाता रहा हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपनी आमदनी देता रहा हैं तथा पुश्तेनी विवादित सम्पत्ति को भी खुर्द बुर्द कर उन्ही को देना चाहता हैं, जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात को बेचान करने पर उतारु है, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीनी ने दिनांक 15.11.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित आराजीयात को विक्रय नहीं करने बाबत कहां तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीनी को ऐलानियां धमकी दी कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजीयात को विक्रय करेगा प्रार्थीनी को जो भी करना हैं करें। इसलिये प्रार्थीनी को पूर्ण भय उत्पन्न हो गया हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजीयात को कभी भी खुर्द बुर्द कर सकता है।

विवादित आराजीयात प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की पुश्तेनी भूमि है जिसमें सभी का जन्मजात ही बराबर बराबर का हक व हिस्सा निहित है। लेकिन विरासत के नामान्तरण के द्वारा विवादित आराजियात स्व0 श्री हरिनारायण जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके पुत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 दिनेश चन्द के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करा ली गई थी। लेकिन विवादित आराजियात में प्रार्थीनी का 1/48 हक एवं हिस्सा निहित है, इसलिये विवादित आराजियात में प्रार्थीनी के 1/48 हिस्से की घोषणा कराने का प्रार्थीनी को पूर्ण अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर मान्य न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा जरिये निषैधाज्ञा के इस कदर पाबन्द करवाये कि अप्रार्थी संख्या 1 किसी दीगर व्यक्ति को विवादित आराजीयात विक्रय, रहन, बक्शीश या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी को उसके उपयोग उपभोग किये जाने मे बाधा उत्पन्न नहीं करें, तथा अप्रार्थी संख्या 4 भूमि विवादग्रस्त बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 5 भूमि विवादित बाबत् उसके समुख अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना ता अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, या परिवारजन के द्वारा करवायें। अप्रार्थीगण भूमि विवादग्रस्त बाबत् मौका एवं रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मन अप्रार्थी एवं प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 की माता श्रीमती सुमन देवी माथुर का स्वर्गवास 1987 में होना एवं अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थीया पुत्री एवं मन अप्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 पुत्र होना स्वीकार है। प्रार्थीया की शादी मामाजी द्वारा किया जाना एवं लालन पालन मामाजी के द्वारा किया जाना स्वीकार है। यदि मन अप्रार्थी के 1/48 हिस्से की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मन अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से का इन्द्राजात किया जाता है तो प्रार्थीया के हक में 1/48 हिस्से की घोषणा किये जाने में मन अप्रार्थी सख्या 2 को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। अपूर्तनीय

सहायक कलक्टर,
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

क्षती का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर मन अप्रार्थी के पक्ष में निहित है। ना ही प्रार्थीया कीसी भी प्रकार से मन अप्रार्थी को पाबन्द कराने की अधिकारी है बल्कि मन अप्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4,5 को पाबन्द कराने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजीयात को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरित नहीं करें, ना ही दिगरान को भूमि में प्रवेश करवावे, ना ही पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना ही खुर्द भूर्द करें, ना ही अप्रार्थी संख्या 4 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करें व अप्रार्थी संख्या 5 भूमि के बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र को तस्दीक नहीं करें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय काउन्टर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 2 मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाया जाकर मिन अप्रार्थी संख्या 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त सम्पति में मिन अप्रार्थी के कब्जे में उपयोग–उपभोग में काम में लेने में, मजाहमत या मदाहकल पैदा करें, ना ही मिन अप्रार्थी को वादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल करें, ना ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी को बेचान, हस्तान्तरित, बक्शीश, रहन, आदि करें, ना खाम व पुख्ता निर्माण करवाये, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही खड्डे, नींव आदि विवादित भूमि में खोदे, ना ही अप्रार्थी संख्या 5 उप पंजियक वादग्रस्त भूमि बाबत किसी विकय पत्र को तस्दीक करें, ना ही अप्रार्थी संख्या 4 भूमि विवादग्रस्त बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करें। उक्त कृत्य ना स्वयं करें, ना ही अन्य से करवाये।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित कुर्सीनामा गलत होने से अस्वीकार हैं, क्योंकि मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी की पत्नी सुमन का देहान्त होने के पश्चात मन्जू देवी ब्याहता पत्नी हैं, जिसको जानबूझकर कुर्सीनामा में नहीं दिखाया गया हैं, साथ ही मन्जू देवी से उत्पन्न नितिका को भी उक्त कुर्सीनामा में नहीं दर्शाया गया हैं, तथा समस्त तथ्यों को छुपाते हुये मनमर्जी पूर्ण कुर्सीनामा तैयार कर पैश किया गया है। उक्त भूमि पर शुरु से ही मिन प्रतिवादी अप्रार्थी बतौर एकमात्र खातेदार काश्तकार काबिज है तथा हर प्रकार से उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था तथा मिन प्रतिवादी अप्रार्थी को उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होने के कारण सम्पर्ण हक अधिकार वादीया–प्रार्थीया को ही प्राप्त थे। वादीया प्रार्थीया का उक्त भूमि से किसी प्रकार को कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है बल्कि वादीया प्रार्थीया ने बराय बदनियति मिन प्रतिवादी अप्रार्थी के हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त वाद बिना किसी हक अधिकार के पैश किया। जब वादीया प्रार्थी का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा ही नहीं है तो वादीया प्रार्थीया को किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

मिन प्रतिवादी अप्रार्थी की पत्नि सुमन देवी की मुत्यु के पश्चात् पारिवारीक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिवादी अप्रार्थी ने मन्जू देवी को बतौर पत्नी विवाह कर लिया था तथा उसके भी निकीता नाम की एक वारिस है जिसको जान बुझकर वादीया प्रार्थीया ने ना तो कुर्सीनामा में वर्णीन किया ना ही प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया। बल्कि वादीया प्रार्थीया उक्त भूमि में बाला–बाला बिना किसी हक अधिकार अपना हक व हिस्सा बताते हुए उक्त वाद पेश किया। उक्त भूमि मिन प्रतिवादी अप्रार्थी कि एकमात्र खातेदारी व हक अधिकर की भूमि है, तथा मिन प्रतिवादी–अप्रार्थी ही उक्त भूमि में निहित हिस्से पर बतौर एकमात्र खातेदार काश्तकार उपयोग उपभाग करता चला आ रहा हैं, तथा सम्पूर्ण हक हकुको समेत उक्त भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बैचान कर दिया हैं, तो वादीया–प्रार्थीया के द्वारा उक्त भूमि में किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अधिकार प्राप्त नहीं हैं, ना ही वादीया प्रार्थीया को न्यायालय श्रीमान से किसी भी प्रकार की कानूनन रुप से निषेधाज्ञा वादीया प्रार्थीया के हक में जारी नही की जा सकती हैं, अगर न्यायालय श्रीमान द्वारा किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रदान की जाती हैं, तो अपूर्तनीय क्षति वादीया प्रार्थीया को होकर मिन प्रतिवादी अप्रार्थी को होगी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से व मिन प्रतिवादी अप्रार्थी के अर्सेदराज के कब्जे के आधार पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन वादीया प्रार्थीया के हक में ना होकर मिन प्रतिवादी अप्रार्थी के हक मे बखुबी साबित है। वादीया प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र झुठा व मनगढंत तथ्यों के आधार पर वे मौके की स्थिति से विपरित होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीसं0 1 की और से अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का जबाब उल जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी स0 1 की पत्नि एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी स0 2 की माता जी श्रीमति सुमन देवी माथूर के स्वर्गवास सन् 1987 में होने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 ने एक अन्य विधवा औरत मंजू देवी के साथ उसके पति से उत्पन्न एक पुत्री नितिका उम्र करीबन 8 साल भी साथ में आयी थी, इसलिए मंजू देवी अप्रार्थी सं0 1 की ब्याता पत्नि नही है, तथा मंजू देवी के पूर्व पति से उत्पन्न पुत्री नीतिका अप्रार्थी सं0 1 की कोई विधिक वारिस नही है,क्योकि नीतिका अप्रार्थी सं0 1 की जाइन्दा पुत्री ही नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने मन प्रार्थी के हक हिस्से की पुश्तेनी पैतृक सम्पत्ति को हडपने की नियत से गलत जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अप्रार्थी स0 1 ने गलत रूप से भूमि का बेचान किया है, जबकि भूमि विवादित पुश्तेनी है, जिसको विकय करने का अप्रार्थी स0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी स0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र मे यह नही लिखा है कि उसे किस तारीख को विकय की तथा किस तारीख को उप पंजियक महोदय से पंजिबद्ध करवायी थी एवं तथाकथित केता पूरणमल अग्रवाल एवं मातादीन अग्रवाल के पिता के नाम एवं उनकी जाति एवं निवास स्थान का उल्लेख भसी अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे नही किया है, ना ही विकय पत्र की कोई नकल ही अप्रार्थी सं0 1 ने पेश की है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कोई विकय पत्र तस्दीक नही करवाया गया है। अगर अप्रार्थी सं0 1 ने कोई विकय पत्र भी पुश्तेनी विवादित भूमि का किया है तो वह मन प्रार्थी के प्रति प्रारम्भतः शुन्य एवं बेअसर है तथा मन प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, जबाब प्रा.पत्र, तथा दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन अध्ययन मनन किया

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनका निस्तारण तनकीयात कायम कर तथा साक्ष्य ग्रहण करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर मूल दावे में किया जाना हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनो तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है।

प्रथम दृष्टया केसः– प्रार्थीया की और से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये ही निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजीयात चूकि पैत्रक आराजीयात है जिस कारण उसमे जन्म से ही हक अधिकार निहित होने के कारण उसमे प्रथम दृष्टया केश साबित है। जबकि प्रार्थी स0 1 के अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया विवादित आराजीयात की ना तो खातेदार है और ना ही काश्तकार है तथा प्रार्थीया न्यायालय श्रीमान के समक्ष स्वच्छ हाथे से नही आई है। अप्रार्थी स0 1 विवादित आराजीया तमे राजस्व रिकोर्ड मे निहित हिस्से अनुसयार काबिज खातेउार काश्तकार है

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तथा कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती। अप्रार्थी स0 2 की और से अधिवक्ता ने अपने जबाब काउन्टर प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दौहराते हुए जबाब काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली व पक्षकारों के विद्वान अध्विक्ताओ की बहस पर मनन किया गया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी स0 1 प्रार्थीया के पिता है जो वर्तमान मे जिवित है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने अभिवचनो मे यह भी स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थीया किस प्रकार स्व0 हरिनारायण की सहदायिक सदस्य है, ना ही सहदायिक सदस्य होने बाबत् अभिवचन ही वाद पत्र में अंकित किये है, ना ही स्व हरिनारायण की मृत्यु की दिनांक अंकित की है, ना ही अभिवचनो मे यह अंकित किया है कि स्वय हरिनारायण के जीवन काल मे प्रार्थीया का जन्म हो गया था। इसके विपरीत अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीया के समस्त अभिवचनो से व विवादित आराजीयात मे हक अधिकार निहित होने से इन्कार किया है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी स0 2 के जबाब काउन्टर प्रार्थना पत्र के अवलोकन मे यह स्पष्ट प्रतित होता है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 2 द्वारा आपस मे मिली भगत कर उक्त प्रार्थना पत्र व प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार जो पक्षकार न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथे से नही आता कानूनन वह कोई भी अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं0 1 विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन एक गैर खातेदार को खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया केश का सिद्धान्त प्रार्थीया के हक मे साबित ना होकर अप्रार्थी स0 1 के हक मे बखुबी साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलन :– प्रार्थीया विवादित आराजीयात बाबत् प्रथम दृष्टया केस साबित करने मे असफ रही है। जिस कारण प्रार्थीया के पक्ष मे किसी भी प्रकार का सुविधा का सन्तुलन साबित नही होता है।

अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थीया के हक मे प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन साबित नही होने से यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष मे जारी कि जाती है। तो प्रार्थीया की तुलना मे अप्रार्थी स0 1 को विवादित आराजीयात मे खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी उपयोग उपभोग करने मे अधिक असुविधा होगी।

ऐसी स्थिति प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूतनीय क्षति का सिद्धांत प्राथीयाा के हक में साबित नही होने तथा अप्रार्थी स0 2 का जबाब काउन्टर प्रा0पत्र भी अप्रार्थी स0 2 द्वारा साबित नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अप्रार्थी स0 2 का काउन्टर प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)